

प्रेस विज्ञापि

दिनांक: 17.12.2020

एस.बी.आई. बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक के साथ घटित लूट की घटना का सफल अनावरण, लूटे गये 54,000 रुपये नकद, 01 लेपटॉप, 01 जिओ सिम डिवाइस, 01 थम इम्प्रेशन मशीन, अवैध असलाह मय कारतूस व 02 मोटरसाईकिल आदि सहित 05 लुटेरे मुठभेड़ के उपरान्त थाना ककोड़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 16.12.2020 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक थाना ककोड़ श्री योगेन्द्र मलिक मय निरीक्षक श्री सचिन बालियान मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र मे तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे तथा हिरनौट चौराहे पर चैकिंग कर रहे थे तभी दो माटरसाईकिल तेज गति से आती हुई दिखाई दी जिनको पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी दिखाकर रूकने का इशारा किया गया तो अभियुक्तों द्वारा खुद को घिरता देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब रात्रि 22.30 बजे 05 अभियुक्तों को अवैध असलाह मय कारतूस व 02 मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। अभियुक्तों की निशादेही पर उनके घरों से लूटे गये 54,000 रुपये नकद, 01 लेपटॉप, 01 जिओ सिम डिवाइस, 01 थम इम्प्रेशन मशीन आदि सामान को भी बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. आकाश पुत्र रामकिशन निवासी शेरपुर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
2. चन्द्रवीर भाटी उर्फ वीर पुत्र समयपाल भाटी निवासी ग्राम आछेपुर थाना रबुपुर जनपद गौतमबुद्धनगर हाल ग्राम सैदमपुर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
3. शौरभ उर्फ भोलू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम धनौरा थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
4. योगेश उर्फ योगेन्द्र पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम शेरपुर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
5. अंकित राणा उर्फ अन्नू पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम अजयनगर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- लूटे गये 54,000 रुपये नकद, लेपटॉप डेल कम्पनी, 01 लेपटॉप बैग, 01 जिओ सिम डिवाइस, 01 थम इम्प्रेशन मशीन, दुकान की मोहर व चाबी, चैक बुक स्टेट बैंक
- 2- 02 तमंचे 315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस
- 3- 01 सीटी 100 मोटरसाईकिल नं0- यूपी-13बीजे-8919
- 4- 01 पल्सर मोटरसाईकिल नं0- यूपी-13ईई-1741

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के लुटेरे हैं जिनके द्वारा दिनांक 19.11.2020 को ग्राम दस्तूरा निवासी सुलेखचन्द जो एस.बी.आई. ग्राहक सेवा केन्द्र व एल.आई.सी एजेंट का कार्य करता है, के साथ लूट की घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना ककोड़ पर मुअसं-339/20 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। **उल्लेखनीय है कि घटना के वक्त पीड़ित ने 1,50,000 रुपये लूटना बताए थे लेकिन बाद में पीड़ित व अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ आदि से वास्तव में मात्र 1,34,000 रुपये लूटना पाया गया। उक्त लूट की घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय द्वारा 20,000 रुपये नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।**

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना ककोड़ पर मुअसं-364/2020 धारा 147/148/149/307 भादवि(पुलिस मुठभेड़), मुअसं-365 व 366/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्री योगेन्द्र मलिक प्रभारी निरीक्षक थाना ककोड़
- 2- श्री सचिन बालियान निरीक्षक थाना ककोड़
- 3- का0 पुष्पेन्द्र राठी, का0 सुन्दर सिंह, का0 लोकेन्द्र, का0 सौरभ मलिक, का0 प्रेमपाल, का0 सचिन कुमार, का0 राहुल त्यागी, का0 चालक ब्रजवीर सिंह